कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून-248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-65/2017-18/

दिनांक :   /12/2017

सेवा में,

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

हरिद्वार

विषय : जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून का वर्ष 04/2015 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 05 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 65/2017-18/   दिनांक: /12/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 65 वर्ष 2017-18

निरीक्षण आख्या **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण**, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार की अवधि 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री हिंमाशु शर्मा, स0ले0प0अ0, श्री मनोहर सिंह, ले0प0अ0, एवं द्वारा दिनांक 16.08.2017 से 26.08.2017 तक श्री अशोक कुमार व.ले.प.अ., के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र भट्ट, स0ले0प0अ0 श्री सलीम खान, व0ले0प0अ0 पर्यवेक्षक द्वारा श्री हनुमान सचान, ले.प.अ., के पर्यवेक्षण में दिनांक दिनांक 16.08.2017 से 26.08.2017 तक के में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2013 से माह 03/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–**

   1.जनसंख्या–

   2.निर्वाचित सदस्यों की संख्या–

   3.आयोजित बैठकों की संख्या–

   4.उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या–

   5.कर्मचारियों की संख्या–18

   6.इकाई की सम्पत्तियां–

   7.इकाई के अपने प्रोजेक्ट–

8.योजनाओं की संख्या–

9.(अ) सामाजिक संरक्षा–

(ब) रोजगार सृजन से सम्बंधित–

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाएं–

(द) लाभार्थियों की संख्या–

10.वर्ष के दौरान कर, रेटस डयूटी चंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि–

11.वर्ष के दौरान कुल व्यय–

(अ) सामान्य–

(ब) योजनाओं पर(प्रत्येक योजना पर अलग–अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12.क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया–

2(अ) (धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर स्थापना	आंवटन	व्यय	आवंटन	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)	अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0.000	683.372	118.450	118.450	1837.120	1863.621	0.350	0.000	656.871	0.000
2015-16	0.350	656.871	26.876	26.535	1457.744	1488.776	0.009	0.000	625.840	0.000
2016-17	0.009	625.839	121.957	123.044	1125.957	976.501	0.000	0.000	775.300	0.000

(ब) वर्ष 2014-15 (धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	अन्तिम अव शेष
1.	NRLM	6.002	9.590	15.592	7.450	8.142
2.	ग्रामीण हॉट	11.260	0.000	11.260	7.500	3.760
3.	IAY	74.126	1077.530	1151.656	1111.409	40.247
4.	DRDA Admin	0.000	118.450	118.450	118.100	0.350
5.	IWDP	26.817	0.000	26.817	26.460	0.357
6.	MPLADS	565.167	750.000	1315.167	710.802	604.365
	Total	**683.372**	**1955.57**	**2638.942**	**1981.721**	**657.221**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1.	NRLM	8.142	14.970	23.112	18.444	4.668
2.	ग्रामीण हॉट	3.760	0.000	3.760	3.760	0.000
3.	IAY	40.247	935.574	975.821	975.821	0.000
4.	DRDA Admin	0.350	26.535	26.885	26.876	0.009
5.	IWDP	0.357	0.000	0.357	0.000	0.357
6.	MPLADS	604.365	500.000	1104.365	483.603	620.762
7.	Indira Amma Bhojnalaya	0.000	7.200	7.200	7.148	0.052
	Total	**657.221**	**1484.279**	**2141.500**	**1515.652**	**625.848**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1.	NRLM	4.668	12.025	16.693	14.180	2.513
2.	IAY	0.000	313.832	313.832	244.587	69.245
3.	PMAY(G)	0.000	276.600	276.600	276.600	0.000
4.	DRDA Admin	0.009	22.549	22.548	21.385	1.173
5.	IWDP	0.357	0.000	0.357	0.000	0.357
6.	MPLADS	620.762	500.000	1120.762	417.932	702.830
7.	मुख्यामंत्री महिला एस.एच.जी. (सीड कैपिटल/सी.आई.एफ.)	0.000	10.000	10.000	9.650	0.350
8.	गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ	0.000	100.495	100.495	100.495	0.000
9.	Indira Amma Bhojnalaya	0.052	13.500	13.552	13.552	0.000
	Total	625.848	1249.001	1874.849	1098.381	776.468

लेखों पर टिप्पणी:-

1. वर्ष के अन्त में एक बहुत बड़ी धनराशि अवशेष पड़ी है जिससे स्पष्ट होता है कि इकाई द्वारा वर्ष के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढ़ग से नहीं किया जा रहा है।
2. इकाई द्वारा लेखों का रख-रखाव नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप पर नहीं किया जा रहा है।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण :-

वर्ष	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	NRLM	6.002	9.590	15.592	7.450	8.142
2014-15	IAY	74.126	1077.530	1151.656	1111.409	40.247
2014-15	MPLADS	565.167	750.000	1315.167	710.802	604.365
2015-16	NRLM	8.142	14.970	23.112	18.444	4.668
2015	IAY	40.247	935.574	975.821	975.821	0.000
2015	MPLADS	604.365	500.000	1104.365	483.603	620.762
2016-17	NRLM	4.668	12.025	16.693	14.180	2.513
2016-17	IAY	0.000	313.832	1313.832	244.587	69.245
2016	PMAY(G)	0.000	276.600	276.600	276.600	0.000
2016	MPLADS	**620.762**	**500.000**	**1120.762**	**417.932**	**702.830**

भाग -2(ब)

प्रस्तर 1:- सांसद निधि यौजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 1.45 करोड़ के कार्यों का अपूर्ण रहना।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ की गयी थी। योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर जोर देते हुये विकासत्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देश जून 2016 के पैरा 3.13 के अनुसार कार्य समापन के लिये समय सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की शर्त भी शामिल की जानी चाहिए।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वीकृत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के अधोलिखित कार्य जिनके लिये प्रथम किस्त की राशि जूलाई 2016 तक अवमुक्त कर दी गयी थी तथा जिन्हे जुलाई 2074 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था। सम्प्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक अपूर्ण थे कार्यों का विवरण निम्नवत है।

स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम व क्रमांक	स्वीकृत धनराशि अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्ति का दिनांक/माह	व्यय धनराशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
2014-15	1.गोवर्धनपुर में बाल्मीकि मंदिर से जू.हा. तक 400 मी. सी.सी. मार्ग निर्माण	4.00	3.00	09/15	3.00	09/16
2014	2.गोवर्धनपुर में ग्रा. पं. से सभागर निर्माण हेतु	4.00	3.00	04/15	3.00	04/17
2014	3.जीवनलाला में शेरगढ़ रोड से जगीरा के घर तक 200 मी. सी.सी. मार्ग निर्माण	4.00	4.00	05/15	3.00	05/16
2014	4.श्री गुरुरामराय महाविधायलयम में	10.00	10.00	05/15	7.50	05/16

	सभागर नवनिर्माण हेतु					
2014	5.ऋषिकेश में रामलीला प्रांगड हेतु टीन शेड़ निर्माण हेतु ऋषिकेश विधानसभा	8.00	8.00	05/15	6.00	09/16
2014	6.हरशान चंद सरस्वती विधामंदिर डोईवाला में सभागार निर्माण हेतु विधानसभा डोईवाला	8.00	8.00	09/15	6.00	09/2016
2014	7.गोहरीमाफी रायवाला प्रतीतनगर खण्डगाँव एवं हरिपुर कलां न्यायय पंचायत श्यापुर में सोल लाईटों हेतु	7.50	7.50	09/15	5.50	09/16
2014	8.ग्रा.सभा रैनापुर के घमण्डपुर गांव में मिलन	5.00	5.00	01/16	3.75	01/17
2014	9.ग्रा.सभा अवरवाला के सुनार गांव में मिलन केन्द्र की चाहरदीवारी एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु विधानसभा डोईवाला	5.00	5.00	01/16	3.75	01/17
2014	10.बालावाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्टेज का निर्माण	1.00	1.00	01/15	0.00	01/16
2014	11.न्याय पंचायत मारखमग्रांट में दूधली बुल्लावाला मारखमग्रांट एवं खैरीखत्ता की पेयजल आपूर्ति हेतु 5 हैण्डपंपो की स्थापना	4.00	4.00	05/15	0.00	05/16
2014	12.मित्तल कालोनी माजरा में जाफरखान के घर से मित्तल कालोनी	2.00	2.00	09/15	0.00	09/16

	तक 100 मी.सी.सी. मार्ग निर्माण					
2015-16	13.ग्रा.सभा सांरग घर नाला में संत निरंकारी मण्डल के सस्तसंग भवन के निर्माण हेतु	10.00	10.00	01/16	0.00	01/17
2015-16	14.बुग्गावाला के अंतर्गत दौलपुर हजरतपुर में पैराडाईज एकेडमी विधालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु	2.50	1.88	02/16	1.88	02/17
2015-16	15.ग्रा.सैदपुरा ग्रा. पंचायत कुरड़ी में श्री रामकश्यप के मकान से श्मशान घाट तक	4.00	3.00	05/16	3.00	05/17
2015-16	16.ज्वालापुर इंटर कालेज मुख्य प्रवेश द्वार से विधालय भवन तक 250 मी. सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु	3.00	2.25	05/16	2.25	05/17
2015-16	17.पलूनी गांव से धारी मंजरा गांव 300 मी. सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु	4.00	3.00	06/16	3.00	06/17
2015-16	18.ग्रा.पंचायत लालबाला खालसा लालवाला मजबता में गुरुद्वारा के समीप एक बारतघर	5.00	3.75	06/16	3.75	06/17
2015-16	19.ग्रा. पंचायत नौकराग्रांट के मजरा बदीवाला में पुलिया निर्माण हेतु	2.00	1.50	06/16	1.50	06/17
2015-16	20.लालढांग ग्रामसभा में नयागांव में मुख्यमोटर मार्ग से	3.00	2.25	06/16	2.25	06/17

	फौजियों की बस्ती तक 200 मी. सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु					
2015-16	21.ग्रा. चमरिया में मुख्य मार्ग से शिशुमंदिर आचार्य धर्मेन्द्र	3.00	2.25	06/16	2.25	06/17
2015-16	22. ग्राम गोरधनपुर में प्रस्तावित आंगनबाड़ी 4.00केन्द्र का निर्माण	4.00	3.00	04/16	3.00	04/17
2015-16	23.बंजारावाला वार्ड न.-02 के अंतर्गत सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण	2.00	2.00	03/16	1.50	03/17
2015-16	24.बंजरावाला वार्ड न.-03 के अंतर्गत सड़क निर्माण	1.20	1.20	03/16	0.90	03/17
2015-16	25.बंजाखाला वार्ड न.-13 के अंतर्गत सड़क निर्माण	1.00	1.00	03/16	0.75	03/17
2015-16	26.बंजारखाला वार्ड न.-09 के अंतर्गत सड़क निर्माण	2.00	2.00	03/16	1.10	03/17
2015-16	27.बजारखाल बार्ड न. -14 में नौटियाल जी के घर के सामने वाले 70 मी. सी.सी. मार्ग का निर्माण	1.40	1.40	03/16	1.05	03/17
2015-16	28.गढ़वाल भ्रात मण्डल संस्था पंजीकृत कार्यालय गढ़वाल भवन भारवाला ग्राण्टबेल रोड़ क्लेमेण्टटाउन में भवन निर्माण हेतु	10.00	10.00	04/16	4.50	04/17

2015-16	29.नेहरुग्राम विस्थापित कालाकनी में वेद प्रकाश पैन्यूली के घर से केशव के घर तक सी.सी. रोड़	2.00	2.00	04/16	1.50	04/17
2015-16	30.लिटिल मेरी स्कूल हरिद्वार कनखल में भवन निर्माण हेतु	5.00	3.75	05/16	0.00	05/17
2015-16	31.ऋषिकेश प्रेसक्लब में फर्नीचर एवं साज सज्जा हेतु	2.00	2.00	02/16	0.00	02/17
2015-16	32.टी.एच.डी.सी. टिहरी नगर गूल विस्थापित कालोनी अजबपुर कला देहरादून में बारातघर हेतु प्रवेश निर्माण	5.00	5.00	04/16	0.00	04/17
	योग	144.60			75.68	

उपरोक्त योजनायें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण नहीं की गयी थी और न ही समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण कियेजाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं के साथ कोई शर्त ही शामिल की गयी थी।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्थों को कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु पत्र लिखे गये है एवं अपूर्ण (प्रगतिमय/अनारम्भ) को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों को समय पर पूर्ण कराया जाना इकाई का उत्तरदायित्व था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2(ब)

प्रस्तर 2:- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 1377.25 लाख के व्यय के उपरांत भी 64% आवासों को ही पूर्म कराया जाना।

इंदिरा आवासा योजना भारत सरकारा द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना है जिसमें अनुसूचित जातियों/जन जातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों को सहायता प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत इंदिरा आवास आवंटन में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति परिवारों को, 15 प्रतिशत अल्पसंक्यक तथा शेष सामान्य जाति के परिवारों को लाभान्वित करना है।

इकाई के इंदिरा आवास योजना से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिये गये लक्ष्य 1023 आवासों के सापेक्ष योजना के अंतर्गत अवमुक्त/हस्तान्तरित धनराशि में से विकासखंडों द्वारा रु. 695.73 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी, इसी प्रकार इकाई को वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिये गये लक्ष्य 1023 आवासों के सापेक्ष केवल 897 आवास (88%) ही पूर्ण किये गये थे, इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में दिये गये लक्ष्य 1254 आवासों के सापेक्ष केवल 553 आवास (44%) ही पर्ण किये गये थे अर्थात त्त दोनों वर्षों में दिये गए कुल लक्ष्य 2277 आवासों के सापेक्ष केवल 1450 आवास (64%) ही पूर्ण किए गए थे। जबकि उक्त दोनों वर्षों में विकासखंडो द्वारा रु. 1377.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान में यह योजना बंद हो चुकी है। 03 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था, दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 64% आवासों को ही पूर्ण कराया गया, जो यह दर्शाता है कि योजना का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के अपूर्ण आवासों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जायेगा।

अतः इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत रु. 1377.25 लाख व्यय के उपरांत भी 64% आवासों को ही पूर्ण कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

27/2000-01	-	2
32/2001-02	1	1
54/2002-03	-	1(क),(ख),2(क)(ख),5
49/2004-05	-	1(क),(ख),2
72/2005-06	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9
60/2006-07	1	1,2,3,4,5
21/2007-08	-	1,2,3,4,5
25/2009-10	1,2	1,2
12/2011-12	1,2	1,2,3
105/2013-14	-	1
86/2015-16	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः- संलग्न

<u>भाग–IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य(यदि काई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाये)

-------------------------सामान्य------------------------------

भाग–V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये–
2. **सतत अनियमितताएं–** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया–**

क.सं.	नाम	पदनाम
(i)	श्री संजीव कुमार राय,	परियोजना निदेशक (25.07.2017 से अब तक)
(ii)	श्री बालकृष्ण टम्टा,	परियोजना निदेशक (01.10.2016 से 24.07.2017)
(iii)	श्री एस.एस. चौहान,	परियोजना निदेशक (01.04.2015 से 30.09.2016)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, पो.ऑ.- आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय